# फर्द अहकाम

**मंगल सिंह बनाम रामनाथ वगै0**

**प्रार्थना पत्र संख्या: 25/2021**

| क्रम संख्या | दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 15.02.2024 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण सं 4 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम श्रीगोविन्दपुरा पटवार हल्का बिलौंची भू. अभि. निरीक्षक बिलोंची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी नया खाता संख्या 86 पुराना खाता संख्या 82 में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.0800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 458 रकबा 0.11 हैक्टेयर खसरा नम्बर 464/516 रकबा 0.456 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3570 हैक्टेयर आराजी के प्रार्थी एकल भू अभिलेखित खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी अपनी कब्जे काश्तशुदा उपरोक्त आराजी पर पुख्ता तारबंदी कर पुख्ता जाल लगाया हुआ है। उपरोक्त मुतदाविया आराजीयात को प्रार्थी बिना किसी रोक टोक व बाधा के काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। हाल खसरा नम्बर 464/516 रकबा 0.456 हैक्टेयर आराजी ही विवादित आराजीयात है। प्रार्थी का हाल खसरा नम्बर 464/516 रकबा 0.45 हैक्टेयर के अलावा अन्य खसरा नम्बर पर कोई विवाद नही है। प्रार्थी के कब्जे काश्तशुदा उपरोक्त भूमि के दक्षिणी दिशा में प्रतिप्रार्थी संख्या 1 की कब्जे काश्तशुदा हाल आराजी खसरा नम्बर 564 रकबा 0.28 हैक्टेयर आराजी उसकी कब्जे काश्त शुदा आराजी है तथा प्रार्थी के खातेदारी की उत्तरी दिशा एंव पूर्वी दिशा में अन्य सहखातेदारान की कब्जेकाश्त शुदा भूमिया है तथा पूर्वी दिशा एंव उत्तरी दशा की और आमद रफत रोड भी स्थित है जिसका उपयोग उपभोग आस पडोस के भू अभिलेखित काबिज खातेदार काश्तकार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार सभी पक्ष शान्तिपूर्वक अपने अपने कब्जे काश्तशुदा आराजी को लाटबांट करते चले आ रहे है। प्रार्थी की कब्जेकाश्तशुदा हाल आराजी खसरा नम्बर 464/516 रकबा 0.455 हैक्टेयर के दक्षिणी दिशा में प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर से संटती हुई प्रतिप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 464 स्थित है जिसका उपयोग उपभोग प्रतिप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रतिप्रार्थी संख्या 2 व 3 के परिवार के सदस्यो के साथ काबिज होकर उपयोग उपभोग करते हुये कृषि काश्त को अन्जाम देते चले आ रहे है। अभी हाल ही दिनांक 19-06-2021 को बरसात होने पर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की जुताई एवं बुआई करने मौके पर पहुंचा तो प्रतिप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 464/516 एवं 464 की सीव डोल पर बजरी पत्थर ईट रोडी डले हुये मिले तथा प्रार्थी भू अभिलेखित खातेदार काश्त[illegible] दक्षिणी सीमा को परिवर्तन करने की स्थिति भी साम[illegible]र प्रार्थी को प्रतिप्रार्थी संख्या 1 से उत्त[illegible] बजरी इंट रोड डालने का कारण पूछा [illegible] संख्या 1 आ[illegible] हो गया तथा उसने अपने दोनो पुत्र प्र[illegible] मौके पर बुलाकर प्रार्थी की कृषि भूमि के [illegible] कर मजाहमत मदाखलत कारित. करने की कोशिश करते हुये नीव खोदना चालू कर दिया। जिसका विरोध प्रार्थी के द्वारा करने पर प्रतिप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुये, प्रार्थी को डराया धमकाया गया। जिस पर आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गये, तथा माहोल को शान्त कराया गया किन्तु प्रतिप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रार्थी के कब्जे काश्तशुदा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

# फर्द अहकाम

**मंगल सिंह बनाम रामनाथ वगै0**

**प्रार्थना पत्र संख्याः 25/2021**

आराजी में मजाहमत मदाखलत कारित करने से बाज नही आये। प्रार्थी अपने कब्जे काश्तशुदा आराजीयात पर काबिज होकर कृषि काश्त को अंजाम देते चला आ रहा हैं, तथा मौके पर प्रार्थी ने अपने कब्जे काश्तशुदा आराजीयात पर फसल उगा रखी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि, वाके राजस्व ग्राम श्रीगोविन्दपुरा पटवार हल्का बिलौंची भू.अभि. निरीक्षक बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी नया खाता संख्या 86, पुराना खाता संख्या 82 में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 464/516 रकबा 0.450 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.45 हैक्टेयर में प्रार्थी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने एवं कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेध रहे, तथा प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी प्रकार का निर्माण/तामिरात कार्य मुतदाविया आराजीयात में करने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखें तथा इस अमर की तहरीर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को भी जारी की जावें।

दौराने बहस अप्रार्थी सं 1 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 19.06.2021 को किसी प्रकार का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अप्रार्थी/वादी की ओर से वाद स्वच्छ हाथो से पेश नहीं किया गया है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त नहीं है तो किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि वादी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बंध व सरोकार नही है। लेकिन जबरन उक्त भूमि में मजाहमत करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर रहे है। जिन्हें पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.06.2021 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.20 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested